छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक 7 ए, द्वितीय तल,सेक्टर 24, आफिस काम्पेलक्स, मुख्यालय–अटल नगर, रायपुर

क्रमांक / गुड़ / निविदा / संशोधन / 2022–23 /21 नवा रायपुर, दिनांक 20/05/22

/ / आंशिक संशोधन सूचना / /

मुख्यालय के पत्र क्रमांक / गुड़ / क्रय निविदा / 2022–23 / 14 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा आमंत्रित किये गुड क्रय निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

क.	कंडिका क्र.	वर्तमान में	संशोधन अनुसार
1	पेज नं.–12 के कंडिका क्र. –23.4	गुड़ का क्रय, शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। राज्य शासन गुड़ योजना के संबंध में कोई नीति में बदलाव अथवा आदेश जारी करने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर गुड़ प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी कार्पोरेशन की नहीं होगी।	गुड़ का क्रय, शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। राज्य शासन गुड़ योजना के संबंध में कोई नीति में बदलाव अथवा आदेश जारी करने पर निविदा स्वीकृति **अथवा अनुबंध निष्पादन** के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर गुड़ प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी कार्पोरेशन की नहीं होगी।
2	पेज नं.9 के कंडिका –13.1	निविदाकार को इस निविदा के साथ तकनीकी बिड में, **बस्तर संभाग** के लिए **राशि रू 2.50 करोड़ (रू. दो करोड़ पचास लाख मात्र)** अमानत राशि R.T.G.S./Transfer के माध्यम से निविदाकार के स्वयं / फर्म / कंपनी के बैंक खाते से **C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD** के खाता क्रमांक–**10822706427 IFSC code-SBIN0008536, Commercial Branch,Pachpedi Naka, Raipur, भारतीय स्टेट बैंक** में जमा करना अनिवार्य होगा।	निविदाकार को इस निविदा के साथ तकनीकी बिड में, **बस्तर संभाग** के लिए **राशि रू 1.00 करोड़ (रू. एक करोड़ मात्र)**. अमानत राशि R.T.G.S./Transfer के माध्यम से निविदाकार के स्वयं / फर्म / कंपनी के बैंक खाते से **C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD** के खाता क्रमांक–**10822706427 IFSC code-SBIN0008536, Commercial Branch,Pachpedi Naka, Raipur, भारतीय स्टेट बैंक** में जमा करना अनिवार्य होगा।
3	पेज नं.9 के कंडिका –13.2	**एल–1 एवं एल–2 की राशि रोककर तथा एल–1 द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत एल–2 की राशि वापस की जायेगी। शेष** अस्वीकृत निविदाकारों की अमानत राशि निर्णय उपरांत 15 दिवस में नियमानुसार संबंधित निविदाकारों को वापस की जावेगी।	**एल–1 की राशि रोककर शेष** निविदाकारों की अमानत राशि निर्णय उपरांत 15 दिवस में नियमानुसार संबंधित निविदाकारों को वापस की जावेगी।

4	**पेज नं.9 के कंडिका –14.1**	निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदाकार को निविदा स्वीकृत दिनांक से 7 दिवस के अंदर कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य है। निविदाकार द्वारा निविदा के समय जमा की गई ईएमडी **राशि रू 2.50 करोड़ (रू. दो करोड़ पच्चास लाख मात्र)** को प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में समायोजन करते हुए अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य है। अनुबंध निष्पादन उपरांत निविदाकार यदि चाहे तो अनुबंध के साथ जमा की गई ई.एम.डी. / प्रतिभूति (सिक्योरिटी) **राशि रू 2.50 करोड़ (रू. दो करोड़ पच्चास लाख मात्र)** को किसी राष्ट्रीयकृत / शेड्यूल बैंक द्वारा 18 माह के लिए वैध एवं स्थान छत्तीसगढ़–रायपुर पर भुगतान योग्य एफडीआर / बैंक गारंटी (Operable at Raipur), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में करने के उपरांत ई.एम.डी. / प्रतिभूति (सिक्योरिटी) राशि वापस प्राप्त कर सकेगा। जमा अमानत एवं जमानत राशि पर निगम की ओर से कोई ब्याज देय नहीं होगा।	सफल निविदाकार को क्रय आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि जमा कराया जाएगा। निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदाकार को निविदा स्वीकृत दिनांक से 7 दिवस के अंदर कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य है। निविदाकार द्वारा निविदा के समय जमा की गई ईएमडी **राशि रू 1.00 करोड़ (रू. एक करोड़ मात्र)** को प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में समायोजन करते हुए अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य है। सफल निविदाकार को क्रय आदेश जारी करने के पूर्व, वार्षिक मात्रा के वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3(तीन) प्रतिशत सुरक्ष निधि जमा करना अनिवार्य होगा। अनुबंध निष्पादन उपरांत निविदाकार यदि चाहे तो अनुबंध के साथ जमा की गई ई. एम.डी. / प्रतिभूति (सिक्योरिटी) कुल राशि को किसी राष्ट्रीयकृत / शेड्यूल बैंक द्वारा 18 माह के लिए वैध एवं स्थान छत्तीसगढ़–रायपुर पर भुगतान योग्य एफडीआर / बैंक गारंटी (Operable at Raipur), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में करने के उपरांत ई.एम.डी. / प्रतिभूति (सिक्योरिटी) राशि वापस प्राप्त कर सकेगा। जमा अमानत एवं जमानत राशि पर निगम की ओर से कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5	**पेज नं.6 के कंडिका –4.14**	–	गुड़ प्रदय के विगत 03 वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 2000.00 मे.टन प्रदाय का शासन / शासकीय संस्था / शासकीय उपकम को कार्यानुभव। गुड़ प्रदाय हेतु कार्यानुभव से संबंधित शासन / शासकीय संस्था / शासकीय उपकम द्वारा जारी कार्य / अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति स्वप्रमाणित करते हुए स्केन कर ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत करना है।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

ए.जी.एम. (गुड़)